न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–68/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. तारूदेवी पुत्री मोमताराम पत्नि निम्बाराम कुम्हार निवासी हाल धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. सुन्दरदेवी पुत्री मोमताराम पत्नि मनणाराम कुम्हार निवासी चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. शंकराराम पुत्र मोमताराम जाति कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 23.05.2024

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 मुतवफी जोगाराम के वारिसान है। मुतवफी जोगाराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम चाड़ो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 469 रकबा 6.4154 हैक्टेयर व खसरा संख्या 676 रकबा 2.3218 हैक्टेयर व मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 409 रकबा 4.3929 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जो भूमि वादीनीगण व प्रतिवादी सं. 1 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई। मुतवफी जोगाराम के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 225, 240 पारित किया गया जो अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पारित किया गया क्योंकि वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोमताराम का देहान्त अपने पितामह जोगाराम से पूर्व हो चुका था, परन्तु वादीनीगण ग्रामीण मतहिला व अनपढ़ होने से प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा वादीनीगण स्व.मोमताराम की जायदा पुत्रीयां व जोगाराम की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में वादीनीगण का 1/3–1/3 हिस्सा जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी जो कि स्वर्गीय जोगाराम का विधिक वारिस होने से उन्हें भी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

खातेदारी हक प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी स्थिति में मौजा चाड़ो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 469 रकबा 6.4154 हैक्टेयर व खसरा संख्या 676 रकबा 2.3218 हैक्टेयर तथा मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 409 रकबा 4.3929 हेक्टेयर में वादीनीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करवानें हेतु यह वाद पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण सं. 1 बावजूद सम्मन तामिल होने एवं सुनवाई हेतु उपस्थिति बाबत पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 के पैरोकार सरकार उप.।

3. प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 तारूदेवी, पी.डब्ल्यू–2 सुन्दरदेवी, पी.डब्ल्यू–3 नरसिंगाराम, पी.डब्लू–4 जुगताराम के बयानात करवायें गयें। वादी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की प्रदर्श–01 जमाबंदी खसरा संख्या 23 ग्राम गादेसरा, प्रदर्श–02 नामांतरकरण संख्या 82 ग्राम गादेसरा, प्रदर्श–03 जमाबंदी खसरा संख्या 469, 676 ग्राम चाडो की ढाणी, प्रदर्श–04 नामांतरकरण संख्या 225 ग्राम चाडो की ढाणी, प्रदर्श–05 जमाबंदी खसरा संख्या 409 ग्राम खारा महेचान, प्रदर्श–06 नामांतरकरण संख्या 240 ग्राम खारा महेचान, प्रदर्श–07 सुंदरदेवी का जनआधार रसीद संख्या 9999-1BBQ-00263, प्रदर्श–08 तारूदेवी का जनआधार रसीद संख्या 9999-1KUFN-00437, प्रदर्श–09 खतौनी बंदोबस्त(जमाबंदी) खाता संख्या 14 ग्राम खारा महेचान, प्रदर्श–10 खतौनी बंदोबस्त (जमाबंदी) खाता संख्या 53 ग्राम चाडो की ढाणी, प्रदर्श–11 पेनकार्ड सुंदरदेवी, प्रदर्श–12 पेनकार्ड पेश किए गए।

4.हमनें वकील वादीनीगण की बहस सुनी गई थी। वकील वादीनीगण ने वाद के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 मुतवफी जोगाराम के वारिसान है। मुतवफी जोगाराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम चाड़ो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 469 रकबा 6.4154 हैक्टेयर व खसरा संख्या 676 रकबा 2.3218 हैक्टेयर व मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 409 रकबा 4.3929 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। मुतवफी जोगाराम के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 225, 240 पारित किया गया जो अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पारित किया गया क्योंकि वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोमताराम का देहान्त अपने पितामह जोगाराम से पूर्व हो चुका था, परन्तु वादीनीगण ग्रामीण महिला व अनपढ़ होने से प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा वादीनीगण स्व.मोमताराम की जायदा पुत्रीयां व जोगाराम की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में वादीनीगण का 1/3–1/3 हिस्सा जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीनी जो कि स्वर्गीय जोगाराम का विधिक वारिस होने से उन्हें भी खातेदारी हक प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी स्थिति में मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी में खसरा संख्या

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

409 रकबा 4.3929 हेक्टेयर में वादीनीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

5.हमनें दोनो पक्षों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,बयानात एंव राजीनामा का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 मुतवफी जोगाराम के वारिसान है। मुतवफी जोगाराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम चाड़ो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 469 रकबा 6.4154 हैक्टेयर व खसरा संख्या 676 रकबा 2.3218 हैक्टेयर व मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 409 रकबा 4.3929 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। मुतवफी जोगाराम के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 225, 240 पारित किया गया जो अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पारित किया गया क्योंकि वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोमताराम का देहान्त अपने पिता जोगाराम से पूर्व हो चुका था, परन्तु वादीनीगण ग्रामीण महिला व अनपढ़ होने से प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा वादीनीगण स्व.मोमताराम की जायदा पुत्रीयां व जोगाराम की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में वादीनीगण का 1/3–1/3 हिस्सा है, इस प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी जो कि स्वर्गीय जोगाराम की विधिक वारिस होने से उन्हें भी खातेदारी हक प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

8.लिहाजा वादीनीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा चाड़ो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी के खसरा संख्या 469 रकबा 6. 4154 हैक्टेयर व खसरा संख्या 676 रकबा 2.3218 हैक्टेयर व मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी के खसरा संख्या 409 रकबा 4.3929 हैक्टेयर में वादीनीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहखातेदार करार करते हुए प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा उनकी खातेदारी में धोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व वादीगण के हक की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। शेष बदूस्तर रहेंगा। तदुनसार डिकी पर्चा जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner